न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 3/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/3

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री हितेश पाटीदार पुत्र श्री नारायण पाटीदार निवासी घलकिया, बॉसवाडा (विक्रेता) मैसर्स मां त्रिपुर दुध डयरी, डाबरी मोहल्ला, कूपडा, बॉसवाडा
2. श्री नारायण पाटीदार निवासी घलकिया, बॉसवाडा (फर्म मालिक) मैसर्स मां त्रिपुर दुध डयरी, डाबरी मोहल्ला, कूपडा, बॉसवाडा

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

श्री हितेश पाटीदार
श्री नारायण पाटीदार

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–03–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशीकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 17–01–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 12–10–2022 को 08.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स मां त्रिपुर दुध डेयरी, डाबरी मोहल्ला, कूपडा, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री हितेश पाटीदार पुत्र श्री नारायण पाटीदार उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में मिश्रीत दुध 30 लीटर एक एल्यूमिनियम की केन में आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमे गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब 30 लीटर मिश्रीत दुध मे से 2 लीटर वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 100 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रीत दुध को साफ सुखे एवं खाली बर्तन मे डालकर एक रुप कर चार साफ–सुखे एवं खाली प्लारिटक के जारो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

फॉर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से एयर टाईड बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **W** 1211 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर चारो नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर सील मोहर कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 391 दिनांक 17.11.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 843 दिनांक 21.10.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिश्रीत दुध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20–01–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27–02–2023 को अभियुक्त **हितेश पाटीदार पुत्र श्री नारायण पाटीदार, श्री नारायण पाटीदार** ने एवं दिनांक 15–03–2023 को **श्री नारायण पाटीदार** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 391 दिनांक 17.11.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 843 दिनांक 21.10.2022 अनुसार

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिश्रीत दुध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **मिश्रीत दुध** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री हितेश पाटीदार पुत्र श्री नारायण पाटीदार निवासी घलकिया, बॉसवाडा (विक्रेता) मैसर्स मां त्रिपुर दुध डयरी, डाबरी मोहल्ला, कूपडा, बॉसवाडा** एवं **श्री नारायण पाटीदार निवासी घलकिया, बॉसवाडा (फर्म मालिक) मैसर्स मां त्रिपुर दुध डयरी, डाबरी मोहल्ला, कूपडा, बॉसवाडा** को रूपये 20000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
(अति0 जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा